परिवहन विभाग

(सचिवालय शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 6 अप्रैल, 2000

सं. फा. 2(1)/93-विधि/एस.ई.सी.ई.-9(126)/परि./98/2197.—मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 की 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 65 तथा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल प्रकाशन से पूर्व आपत्तियों तथा सुझावों पर विचार करने के पश्चात् दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ

1. (1) ये नियम दिल्ली मोटर वाहन (संशोधन) नियामवाली, 2000 के तहत।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में प्रकाशन को तिथि से प्रभावी होगी।

नियम 31 में संशोधन

2. दिल्ली मोटर वाहन नियमावली, 1993 के नियम 31 में उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात्

(1) जब परिवहन वाहन पिछले दुरुस्तगी प्रमाणपत्र की वैधता के पश्चात दुरुस्तगी प्रमाणपत्र को जारी करने/नवीकरण करने के लिये प्रस्तुत किया जाता है तथा इसके मालिक द्वारा पंजीकरण प्राधिकरण को पंजीकरण प्रमाणपत्र लौटाकर वाहन को इस्तेमाल न करने के लिये गैर उपयोग के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाती है तो वाहन को धारा 40 के अधीन वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा तथा नये पंजीकरण शुल्क के साथ 10 रुपये (केवल दस रुपया) प्रतिदिन पहले पन्द्रह दिन तथा उसके पश्चात 20 रुपये (बीस रुपये केवल) प्रतिदिन की दर से वाहन मालिक द्वारा अधिनियम की धारा 56 के अधीन दुरुस्तगी प्रमाणपत्र जारी करने/नवीकरण से पहले दिया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर
आलोक स्वरूप, उप सचिव

TRANSPORT DEPARTMENT

(Sectt. Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 6th April, 2000

No. 2(1)/93-Law/Sece. 9 (126)/Tpt/98/2197.—In exercise of the powers conferred by Sections 65 and 96 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi after prior publication for taking into consideration any objections and suggestions, is pleased to make the following amendments to the Delhi Motor Vehicle Rules, 1993.

Short Title and Commencement

1. (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Delhi Gazette.

Amendment of Rule 31

2. In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, in rule 31, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely :—

(1) When a Transport Vehicle is produced for issue/renewal of the certificate of fitness after the expiry of validity of last certificate of fitness and no intimation is given regarding its non-use by the owner of the vehicle by surrender of its registration certificate to the registering authority the vehicle shall not be deemed to be validly registered under section 40 and in addition to fresh registration fee, a late fee @ Rs. 10/- (Rupees Ten Only) per day shall also be paid for the first fifteen days and thereafter Rs. 20/- (Rupees Twenty Only) per day shall be paid by the Vehicle owner before the issue/renewal of the Certificate of fitness under section 56 of the Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
ALOK SWAROOP, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Scanned with CamScanner